Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमावंदी रद्द अभिलेख वाद सं0–.........564........./2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

19/8/16 झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा........टोरवा........ थाना नं0....42.... जमा0सं0....662.........

खाता सं0........138........ प्लॉट स0........347........ रकवा....0.40....

एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–।। पर जमाबंदी रैयत ....अनुपम....

....[illegible]....

के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैद्य बंदोबस्ती के आधार पर/अवैद्य कोड़कर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैद्य लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उदेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैद्य प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतए0 संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों उक्त जमावंदी को अवैद्य मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्ध करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक....23/9/16.......... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

19/8/16

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

21/5/20 लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित। संबंधित नोटिस रैयत को पुन: नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें। उनसे कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं जमाबन्दी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 09/06-2020 को उपस्थापित करें।

21.5.2020

अंचल अधिकारी
बलियापुर

09.06.20
14.07.20 अभिलेख उपस्थापित। आवेदक द्वारा नोटिस तामिला के पश्चात कार्यालय में आवेदन देकर उपस्थित हुए तथा भूमि संबंधी निम्न राजस्व कागजात प्रस्तुत किया – ① जमीन बन्दोबस्ती पर्चा की छायाप्रति ② लगान रसीद की छायाप्रति ③ दखल दिहानी तथा नक्शा की छायाप्रति ④ राजा द्वारा बन्दोबस्ती दिया गया पट्टा एवं रसीद एवं उसके हिन्दी अनुवाद की छायाप्रति।

उक्त राजस्व कागजातों की मूल प्रति आवेदक से माँग की गई जो अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अत: भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसा करते हुए अभिलेख (मूल में) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें।

14.7.2020

अंचल अधिकारी
बलियापुर